तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
25.05.2023	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। प्रकरण में निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से निर्णित किया जाता है। निर्णयानुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 25/05/23 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.21 17:37:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला–सीकर (राज.)
पीठासीन अधिकारी – दिलीप सिंह (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर	:–	59/2018
जीoसीoएमoएस नम्बर	:–	2018/0318
दायर दिनांक	:–	31.10.2018
निर्णय दिनांक	:–	25.05.2023

उनवान प्रकरण

1. छीतरमल पुत्र बक्सा जाति अहीर निवासी ढाणी हरसम्बन्धवाली तन् ग्राम लिसाडिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

–प्रार्थी

बनाम्

1. गोपाल पुत्र काना
2. सुवा पुत्र काना

समस्त जाति अहीर निवासीगण ढाणी सापांवाली तन् ग्राम लिसाडिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

3. कान्ना पुत्र रूडा
4. हनुमान पुत्र रूडा
5. हरनाथ पुत्र रूडा

समस्त जाति अहीर निवासीगण ढाणी सागलडा (चौलाई) तन् ग्राम फुटाला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

6. **नानछी पुत्री रूडा मृतक के बजाय:–**

6/1 कल्याण पुत्र नानछी पुत्री रूडा

6/2 रतन पुत्र नानछी पुत्री रूडा

6/3 लालचन्द पुत्र नानछी पुत्री रूडा

6/4 प्रेम पुत्र नानछी पुत्री रूडा

6/5 कैलाश पुत्र नानछी पुत्री रूडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.21 17:37:17 IST
Reason: SelfAttested

25/05/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

समस्त जाति अहीर निवासीगण ढाणी मंगरावाली तन् ग्राम ढोढसर तहसील चौमू जिला जयपुर राज0

7. **प्रभाती पुत्री रूडा मृतक के बजायः–**

7/1 रामनिवास पुत्र प्रभाती पुत्री रूडा

7/2 श्रवण पुत्र प्रभाती पुत्री रूडा

7/3 फूली देवी पुत्री प्रभाती पुत्री रूडा

7/4 रामप्यारी पुत्री प्रभाती पुत्री रूडा

7/5 रामवतारी पुत्री प्रभाती पुत्री रूडा

7/6 धापू पुत्री प्रभाती पुत्री रूडा

समस्त जाति अहीर निवासीगण ढाणी मंगरावाली तन् ग्राम ढोढसर तहसील चौमू जिला जयपुर राज0

8. चोथी पत्नि रामप्रताप

9. बनवारी पुत्र रामप्रताप

10. मूलचन्द पुत्र रामप्रताप

11. रामोतार पुत्र रामप्रताप

12. सुरेश पुत्र रामप्रताप

समस्त जाति अहीर निवासीगण ढाणी सागलडा (चौलाई) तन् ग्राम फुटाला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

13. **राजेन्द्रप्रसाद पुत्र स्व0 रामदेव मृतक के बजायः–**

13/1 संतोष देवी पत्नी स्व0 राजेन्द्र प्रसाद

13/2 सतपाल पुत्र स्व0 राजेन्द्र प्रसाद

13/3 उगन्ता देवी पुत्री स्व0 राजेन्द्र प्रसाद

समस्त जाति अहीर निवासीगण ढाणी सागलडा (चौलाई) तन ग्राम फुटाला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

14. सुरेन्द्र पुत्र स्व0 रामदेव

15. जितेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व0 रामदेव

16. सुमित्रा पुत्री स्व0 रामदेव

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.21 17:37:17 IST
Reason: SelfAttested

17. पताशी पत्नि स्व0 रामदेव

समस्त जाति अहीर निवासीगण ढाणी सागलका (सीलाई) तन ग्राम कूटाला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

18. पटवारी हल्का लिसाडिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

19. तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

20. प्रबन्धक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मूण्डरू

21. प्रबन्धक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा लिसाडिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

—अप्राथीगण

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 ::—

उपस्थिति:—

1. **श्री सरदार सिंह कुडी प्रथम/कमल कुमार शर्मा, अभिभाषक —प्रार्थी की ओर से ।**
2. **श्री धर्मेन्द्र कुमार योगी, अभिभाषक** — अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5, 8 ता 14, 17, 13/2, 13/3 की ओर से (अनुपस्थित — एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 23.02.2023)।

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 374 रकबा 0.60 है0 तन् ग्राम लिसाडिया पटवार हल्का लिसाडिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित हैं। जिसकी खातेदारी प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित चली आ रही है। जो बाहमी बंटवारे में प्रार्थी के हक हिस्से व अधिकार में [illegible] है। जिसमें प्रार्थी मौके पर अपने आवासीय मकानात ब[illegible] आ रहा हैं। उक्त भूमि से प्रार्थी फसल उत्पन्न कर[illegible] का पालन पोषण करते चले आ रहे हैं। प्रार्थी अपनी भूमि में मय परिवार मय [illegible]न पूर्णतया काबिज एवं आबाद है, परन्तु उपरोक्त भूमि में से आने जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नही हैं। इस कारण प्रार्थी का आवागमन व आना जाना दुभर होकर प्रार्थी व उनके परिवारजन आने जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.21 17:37:17 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

हेतु रास्ते के लिये मोहताज हो रहे है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि ख0न0 374 में जाने के लिये 12 फुट चौडाई के रास्ते की सख्त आवश्यकता है, जो रास्ता निकटतम एवं लघुतम है। वह अप्रार्थीगण के भूमि ख0न0 405/3, 405/1, 377 में से उक्त भूमियों की पूर्वी सीमा के सहारे 12 फुट चौडाई का तथा भूमि ख0न0 378 में से उतरी पश्चिमी कोने मे प्रार्थी के भूमि ख0न0 374 तक दर्शित नजरी नक्शे अनुसार ए से बी तक 12 फुट चौडाई का हैं। जो प्रार्थी की भूमि में जाने का लघुतम रास्ता हैं। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। अप्रार्थीगण नम्बर 13 ता 17 के पिता रामदेव पुत्र रूडा का देहान्त हो चुका है। जिसके वारिसान अप्रार्थीगण नम्बर 13 ता 17 है। जो आवश्यक पक्षकार है। जो प्रार्थना पत्र के पक्षकार बनाये गये हैं तथा अप्रार्थीगण नम्बर 20 व 21 के यहां भूमि रहन होने से उन्हे पक्षकार/प्रतिवादी बनाया गया है। प्रार्थी की काश्त की भूमि में आने जाने का उपरोक्त के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं हैं। प्रार्थी मय परिवार अपनी खातेदारी भूमि में पशुधन सहित आबाद है। प्रार्थी का एवं प्रार्थी के परिवार का व पशुधन का जीवन संकट में पडा हुआ हैं। प्रार्थी एवं इनके परिवारजन ने कई मर्तबा उक्त रास्ते को खुलवाने बाबत अप्रार्थीगण को कहां किन्तु अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ता देने से स्पष्ट इंकार होने से तथा प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही होने से उक्त लघुतम रास्ता प्रार्थी की भूमियों में आने–जाने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा हैं। जिससे कि रास्ता चालू हो सके व शांतिपूर्ण रूप से आमद रफत हो सके। अभी तक प्रार्थी एवं इनके परिवार को उक्त रास्ता मुहैया नही हुआ हैं। रास्ते के अभाव से प्रार्थी एवं इनके परिवारजन एवं मय पशुधन का जीवन संकटमय हो रहा है तथा रास्ता नहीं मिलने पर प्रार्थी एवं इनके परिवारजन पूर्णरूपेण बरबाद हो जावेगे। प्रार्थी को रास्ता नहीं मिलने से प्रार्थी चारो ओर से हताश एवं निराश होकर माननीय न्यायालय की शरण में आया हैं। प्रार्थी धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की शर्तो की पालना करने को तैयार है। प्रार्थी उक्त रास्ते की भूमि के एवज में अप्रार्थीगण को भूमि [illegible] वर्तमान डी0एल0सी0 दर की राशि देने को तत्पर एव तैयार है। [illegible] प्रार्थी [illegible] भूमि में जाने हेतु उक्त रास्ता आमद रफत हेतु खुलवाया जाना व राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाया जाना न्यायोचित एवं अति आवश्यक है। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.21 17:37:17 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

जाकर प्रार्थी को तन ग्राम लिसाड़िया तहसील श्रीमाधोपुर में अपनी खातेदारी की भूमि ख0न0 374 में आने जाने के लिये 12 फुट चौड़ाई का रास्ता भूमि ख0न0 405/3, 405/1, 377 में से उक्त भूमियों की पूर्वी सीमा के सहारे 12 फुट चौड़ाई का तथा भूमि ख0न0 378/1 में से उत्तरी पश्चिमी कोने में प्रार्थी के भूमि ख0न0 374 तक दर्शित नजरे नक्शे अनुसार ए से बी तक 12 फुट चौड़ाई का जो संलग्न नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शाया हुआ खुलवाया जाकर दुरूस्त करवाया जावे व प्रार्थी की आमद रफत चालू करवायी जावे एवं उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड जमाबंदी व नक्शा ट्रेस में गैरमुमकिन रास्ता अमल दरामद करवाये जाने का निवेदन वकील प्रार्थी द्वारा किया गया है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5, 8 लगायत 14, 17 की ओर से श्री धर्मेन्द्र कुमार योगी एडवोकेट ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया एंव जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु अवसर चाहे गये। अप्रार्थीगण संख्या 15 व 16 की नोटिस तामील उसके भाई द्वारा ली जाने तथा अप्रार्थीगण संख्या 18 लगायत 21 की तामील सम्यक रूप से हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थीगण संख्या 15, 16, 18 लगायत 21 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण संख्या 6, 7 व 13 के फौत होने पर उनकी कायम मुकामी कार्यवाही की गई। जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 13/1, 6/1 लगायत 6/5 व 7/1 लगायत 7/6 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाये जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थीगण संख्या 13/1, 6/1 लगायत 6/5 व 7/1 लगायत 7/6 के विरूद्ध भी एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5, 8 लगायत 14, 17, 13/2, 13/3 की ओर से श्री धर्मेन्द्र कुमार योगी एडवोकेट को बार-बार जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु अवसर दिये जाने के उपरान्त भी [illegible]। इसके उपरान्त पुनः न्यायहित में अन्तिम अवसर दिये [illegible] के भी जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किये जाने एंव [illegible] आने पर जवाब देही का अवसर बन्द किया गया तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5, 8 लगायत 14, 17, 13/2 व 13/3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी द्वारा चाहे

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.21 17:37:17 IST
Reason: SelfAttested

25/05/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

गये रास्ते के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955 में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉंच रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से तथ्यात्मक जॉंच रिपोर्ट पत्रांक 1579/राजस्व/2022 दिनांक 23.11.2022 प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। जिसमें तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अवगत कराया है कि खसरा नम्बर 374 में आवागमन के पहुंच हेतु राजस्व ग्राम लिसाडिया के भूमि खसरा नम्बर 405/3, 405/1, 377, 378/1, 374 किता 5 की वस्तुस्थिति रिपोर्ट में खसरा नम्बर 405/3 की खातेदारी गोपाल पुत्र काना जाति अहीर, खसरा नम्बर 40/1 की खातेदारी सुवा पुत्र काना जाति अहीर, खसरा नम्बर 377 की खातेदारी कानाराम हरनाथ वगै0 पुत्र रूडाराम, ख0न0 378/1 की खातेदारी सुवालाल पुत्र काना जाति अहीर के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। प्रार्थी को अपनी निजी अराजीयात खसरा नम्बर 374 पर जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। इसमें आवागमन हेतु प्रार्थी द्वारा भूमि ख0न0 405/3, 405/1, 377, 378/1 में से रास्ता चाहा गया है। जो राजस्व रिकार्ड में कटानी रास्ते सबसे निकटतम है। खसरा नम्बर 374 में आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। वांछित रास्तें की अत्यातिंक आवश्यकता हैं। ख0न0 405/3, 405/1, 377, 378/1 के खातेदार राजीनामें से रास्ता देने हेतु सहमत नहीं है। ख0न0 374 तक पहुंच हेतु जो प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी हैं। लघुतम/निकटतम रास्ता खसरा नम्बर 405/3, 405/1, 377, 378/1 से होकर जाता है। उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में कटानी रास्ते से सबसे निकटतम हैं। उक्त प्रस्तावित रास्ते में काम आने वाली भूमि कुल 536 वर्गमीटर की वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दर 12,13,135/– रूपये प्रति हैक्टर की दरों से प्रस्तावित रास्ते में काम आने वाले खसरा नम्बर 405/3 में रकबा 96 मीटर राशि 11646/– रूपयें, खसरा नम्बर 405/1 में रकबा 96 मीटर राशि 11646/– रूपयें, खसरा नम्बर 377 में रकबा 240 मीटर राशि 29115/– रूपयें, खसरा नम्बर [illegible] में रकबा 104 मीटर राशि 12616/– रूपयें जिसका कुल रकबा 536 [illegible] राशि 65023/– रूपये का दो गुणा राशि 1,30,046/– [illegible] अक्षरे एक लाख तीस हजार छियालीस रूपये कुल भूमि की कीमत होती है। उक्त रास्ते को नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित रास्ते के रूप में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा दर्शाया गया है। जिससे वकील प्रार्थी ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.21 17:37:17 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उक्त तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त रिपोर्ट से सहमति व्यक्त करते हुए उसी अनुसार प्रार्थी को रास्ता दिये जाने बाबत वकील प्रार्थी ने निवेदन करते हुए प्रकरण में सीधे ही बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955 में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए संलग्न नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शितानुसार रास्ता दिये जाने बाबत निवेदन किया। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमी मे आवागमन हेतु काम आने वाली प्रस्तावित भूमी की वर्तमान प्रचलित डी0 एल0 सी0 दरों से दुगुनी राशि दिये जाने बाबत अपनी पूर्ण सहमति प्रदान करने का निवेदन अपनी बहस में किया हैं।

हमने वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय ध्यानपूर्वक सुनी। बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात् यथा जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस, रिपोर्ट पटवारी हल्का लिसाड़िया, तहसीलदार श्रीमाधोपुर की मौका जॉच रिपोर्ट मय प्रस्तावित रास्ते का नजरी नक्शा, डी0 एल0 सी0 दरों इत्यादि का गहनता से अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण में प्रार्थी अपने खेत भूमि खसरा नम्बर 374 में आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होना प्रकट होता है। उक्त खसरा नम्बर में आवागमन हेतु एकमात्र लघुत्तम व निकटतम रास्ता भूमि खसरा नम्बर 405/3, 405/1, 377, 378/1 में से होना प्रकट होता है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता अप्रार्थीगण के द्वारा न्यायालय को नहीं बताया गया है। अप्रार्थीगण के द्वारा वर्ष 2018 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के उपरान्त दिनांक 21.01.2019 को उपस्थित होने के बावजूद बार–बार अवसरों के भी जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर मुकदमें को लम्बित करने की मंशा से जवाब पेश नहीं किये जाने पर जवाब देही बन्द की जाकर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाना प्रकट होता है। प्रार्थी ने न्यायालय के समक्ष अपने द्वारा चाहे गये रास्ता की भूमि के बदले भूमि देने की शर्त पर रास्ता नहीं लिया जाकर वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दरों की दुगुनी कीमत पर कीमतन अदा कर रास्ता [illegible] अवगत कराया गया। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान [illegible] 1955 की धारा 251 (ए) में रास्ते के सम्बन्ध में किये गये प्रावधानों [illegible] राज्य सरकार की किसानों को उनके कृषि जोत तक आने व जाने तथा अपने [illegible] यंत्रों/साधनों को ले जाने बाबत लघुत्तम व निकटतम रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से निर्देशित

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.21 17:37:17 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
अधिकारी, श्रीमाधोपुर

किया गया है। जिसके तहत प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता 12 फुट की चौड़ाई में वर्तमान में प्रचलित डी०एल०सी० दरों की दुगुनी कीमत पर कीमतन अदा कर देने पर सहमति व्यक्त करते हुए तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तावित किये गये रास्ता जो नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शित किया गया है को प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत चाहे गये रास्ते के सम्बन्ध में 12 फुट चौड़ाई का रास्ता दिये जाने बाबत सहमति प्रदान किये जाने से उचित प्रतित होता है।

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी को आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रार्थी द्वारा चाहा गया प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी के कृषि जोत के लिए भी उपयुक्त होने से तथा प्रार्थी द्वारा वर्तमान में प्रचलित डी०एल०सी० दरों की दुगुनी राशि पर रास्ता उपलब्ध कराने में कोई एतराज नहीं होने बाबत अवगत कराने पर वकील प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत संलग्न नजरी नक्शें में लाल स्याही से दर्शितानुसार चाहे गये रास्ते को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर उक्त संलग्न नजरी नक्शें में लाल स्याही से दर्शितानुसार चाहे गये रास्ते के काम आने वाली भूमि की प्रतिकर राशि का निर्धारण वर्तमान प्रचलित दरों की सिंचित दरों की दुगुनी दरों से गणना की जाकर उक्त राशि प्रार्थी से प्राप्त कर राज्यकोष में जमा लिया जाना उचित प्रतित होता हैं।

उपर्युक्त विश्लेषण से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (अ) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 को स्वीकार किया जाता है एंव आदेश दिया जाता है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 374 में आने जाने के लिये 12 फुट चौडाई का रास्ता भूमि ख०न० 405/3, 405/1, 377 में से उक्त भूमियों की पूर्वी सीमा के सहारे 12 फुट चौडाई का तथा भूमि ख[illegible]से उतरी पश्चिमी कोने में प्रार्थी के भूमि ख०न० 374 [illegible] से बी तक 12 फुट चौडाई की भूमि, को गैर मुमकिन [illegible] में संलग्न प्रस्तावित लघुत्तम/निकटतम मार्ग होने से नजरी नक्शा में प्र[illegible]वित रास्ता लाल स्याही से दर्शित किया है के अनुसार उक्त रास्ते के उपयोग में आने वाली बिलानाम सरकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.21 17:37:17 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह

किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जाना उचित प्रतित होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रतिकर राशि का निर्धारण वर्तमान प्रचलित दरों की सिंचित दरों की दुगुनी दरों से गणना की जाकर निर्धारित राशि प्रार्थी से ली जाकर राज्यकोष में जमा करवाने के उपरान्त राजस्व रिकार्ड में आदेशानुसार अंकन किया जाकर नक्शे में आवश्यक तरमीम की कार्यवाही किया जाना उचित समझते है। अप्रार्थीगण को उनके हक हिस्सा अनुसार नियमानुसार देय होने वाली प्रतिकर राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को किया जाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जावे।

-: क्रियात्मक आदेश :-

अतः उपयुर्क्त विवेचन अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (अ) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955 को स्वीकार किया जाता है एंव आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 374 में आने जाने के लिये 12 फुट चौडाई का रास्ता भूमि खसरा नम्बर 405/3, 405/1, 377 में से उक्त भूमियों की पूर्वी सीमा के सहारे 12 फुट चौडाई का तथा भूमि ख0न0 378/1 में से उतरी पश्चिमी कोने में प्रार्थी के भूमि ख0न0 374 तक दर्शित नजरे नक्शे अनुसार ए से बी तक 12 फुट चौडाई की भूमि, को गैर मुमकीन रास्ता के रूप में संलग्न प्रस्तावित लघुत्तम/निकटतम मार्ग होने से उक्त रास्ते के उपयोग में आने वाली बिलानाम सरकार किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावें। चूंकि रास्ते में लगने वाली भूमियॉ बिला नाम सरकार किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज होने के कारण उक्त भूमियों की खातेदारी से (रकबा रास्ता कम करने के बाद) खातेदारी बदस्तूर जमाबन्दी रखी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.21 17:37:17 IST
Reason: SelfAttested

तहसील[illegible] संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शितानुसार दिये जाने वाले रास्ते की [illegible]कर राशि का निर्धारण वर्तमान

23/05/23
दिलीप सिंह
अधिकारी, श्रीमाधोपुर

प्रचलित दरों की सिंचित दरों की दुगुनी दरों से गणना की जाकर उक्त प्रस्तावित रास्ते में काम आने वाली भूमि कुल 536 वर्गमीटर की वर्तमान प्रचलित डी०एल०सी० दर 12,13,135/- रूपये प्रति हैक्टर की दरों से प्रस्तावित रास्ते में काम आने वाले खसरा नम्बर 405/3 में रकबा 96 मीटर राशि 11646/- रूपयें, खसरा नम्बर 405/1 में रकबा 96 मीटर राशि 11646/- रूपयें, खसरा नम्बर 377 में रकबा 240 मीटर राशि 29115/- रूपयें, खसरा नम्बर 378/1 में रकबा 104 मीटर राशि 12616/- रूपयें जिसका कुल रकबा 536 वर्गमीटर की कुल देय राशि 65023/- रूपये का दो गुणा राशि 1,30,046/- रूपये अर्थात अक्षरे एक लाख तीस हजार छियालीस रूपये कुल निर्धारित राशि प्रार्थी से ली जाकर राज्यकोष में जमा करवाने के उपरान्त राजस्व रिकार्ड में आदेशानुसार अंकन किया जाकर नक्शें में आवश्यक तरमीम की कार्यवाही की जावे। अप्रार्थीगण को उनके हक हिस्सा अनुसार नियमानुसार देय होने वाली प्रतिकर राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को किया जाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीमाधोपुर को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 25.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.21 17:37:17 IST
Reason: SelfAttested